न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 72/2022 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2022/193

1. राधेश्याम उर्फ लालु पिता श्रीलाल जी अहीर निवासी मालियाखेडी तह0 निम्बाहेडा राज0
2. अनु पुत्री रामलाल जी अहीर निवासी मालियाखेडी तह0 निम्बाहेडा राज0
3. उंकारलाल पिता श्रीलाल जी अहीर निवासी मालियाखेडी तह0 निम्बाहेडा राज0
4. गटूबाई पत्नी चेनराम जी अहीर निवासी मालियाखेडी तह0 निम्बाहेडा राज0
5. दाखीबाई पत्नी रतनलाल जी अहीर निवासी मालियाखेड़ी तह0 निम्बाहेडा राज0
6. प्रभूलाल पिता श्रीलाल जी अहीर निवासी मालियाखेडी तह0 निम्बाहेडा राज0
7. भगवतीराम पुत्र रतनलाल जी अहीर निवासी मालियाखेडी तह निम्बाहेड़ा राज0
8. भागीरथ पिता शंकरलाल जी अहीर निवासी मालियाखेडी तह0 निम्बाहेडा राज0
9. मु0 पुष्पा पत्नी रामलाल जी अहीर निवासी मालीयाखेडी तह0 निम्बाहेडा राज0
10. रूकमणी पुत्री श्रीलाल जी अहीर निवासी मालियाखेडी तह0 निम्बाहेडा राज0
11. वरदीचन्द पिता शंकरलाल जी अहीर निवासी मालीयाखेडी तह0 निम्बाहेडा राज0
12. शम्भूलाल पुत्र रतनलाल जी अहीर निवासी मालियाखेडी तह0 निम्बाहेडा राज0
13. सुशीला पुत्री रामलाल जी अहीर उम्र नाबालिग जरिये सरपरस्त माता पुष्पा पत्नी रामलाल जी अहीर निवासी मालीयाखेडी तह0 निम्बाहेडा
14. हरिकिशन पिता रामलाल जी अहीर उम्र नाबालिग जरिये सरपरस्त माता पुष्पा पत्नी रामलाल जी अहीर निवासी मालीयाखेडी तह0 निम्बाहेडा
15. हगारी पत्नी शंकरलाल जी अहीर उम्र नाबालिग जरिये सरपरस्त माता पुष्पा पत्नी रामलाल जी अहीर निवासी मालीयाखेडी तह0 निम्बाहेडा

बनाम

1. जे. के. सीमेन्ट वर्क्स, प्रो0 जे.के. सीमेन्ट लि. कानपुर हाल मु0 प्रबन्धक जे. के. सीमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा राज0

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955</u>

उपस्थिति:–	1. श्री राजेश दायमा	–	अधिवक्ता प्रार्थीगण
	2. श्री अनुराग ओझा	–	अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

::<u>निर्णय</u>:: दिनांक:– 21.09.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:07 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रका[illegible] प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण व अन्य सह[illegible] की संयुक्त [illegible]तेदारी कब्जे काश्त की पटवार हल्का ग्राम मालीयाखेडी प[illegible] में खाता सं0 39 की [illegible] नं0 350 रकबा 0.9100 हेक्टेयर लगानी 2.73 रुपये [illegible] है। साक्ष्य में जमाबंदी [illegible]कल पेश हैं।

2. उपरोक्त वर्णित आराजीयात में विपक्षी कृषि भूमि में औद्योगिक प्रयोजनार्थ अवैध रूप से भूमिगत पाईप लाईन डाल कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने के ईरादे से जे.सी.बी. के माध्यम से खुदाई करने पर आमादा है जिस पर प्रार्थीगण ने

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

विपक्षी को व उसके अधिनरथ कर्मचारीयो को मौके पर रोकने की कोशिश की व परन्तु विपक्षी व उसके अधिनरथ कर्मचारी किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है,जबकि विपक्षी द्वारा उक्त पाईप लाईन बिछाने से पहले प्रार्थीगण को उनकी भूमि का कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया और न ही भूमि की किस्म परिवर्तन की गई लेकिन विपक्षी अपने धनबल व राजनैतिक प्रभाव व पद का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थीगण के हक अधिकारो को दबाते हुए कृषि भूमि में अवैध खनन कर पाईप लाईन डालने का कार्य तीव्र गति से मशीनी तकनिक के माध्यम से डालने पर आमादा है । प्रार्थीगण को बिना मुआवजा चुकाये बिना बंटवारा कराये उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में जे.सी.बी. के माध्यम से खुदाई नहीं करें न करावें तथा भूमिगत पाईप लाईन औद्योगिक प्रयोजनार्थ नहीं डाले न डलवाये एवं बिना विधिक प्रक्रिया के मौके पर कोई भी अवैधानिक रूप से खनन कार्य नहीं करें न करावें तथा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल नहीं करें न करावें एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रभावित हो और भूमि के स्वरूप में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करें न करावें। यदि विपक्षी को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पायेगी तथा प्रार्थीगण का बाद व प्रार्थना पत्र पेश करना ही व्यर्थ हो जायेगा।

3. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की मूल वाद के अंतिम निर्णय तक विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है कि वो प्रार्थीगण को बिना मुआवजा चुकाये बिना बंटवारा कराये उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में जे.सी.बी. के माध्यम से खुदाई नही करें न करावे तथा भूमिगत पाईप लाईन औद्योगिक प्रयोजनार्थ नहीं डाले न डलवाये एवं बिना विधिक प्रक्रिया के मौके पर कोई भी अवैधानिक रूप से खनन कार्य नहीं करें न करावें तथा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल नहीं करें न करावें एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रभावित हो और भूमि के स्वरूप में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं करें न करायें।

4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और अपने जवाब प्रार्थना में अंकित किया कि प्रार्थीगणों ने तथ्यों को छुपाकर गलत दावा पेश किया हैं जो आगे चलकर निश्चित रूप से खारीज होगा ऐसी पुरी संभावना है। वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व विपक्षी जे०के० सीमेन्ट की शामलाती खातेदारी में वाके ग्राम मालियाखेडा पटवारी हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खतौनी संख्या 39 आराजी नम्बर 350 रकबा 0.9100 हैक्टेयर भूमि स्थित होना स्वीकार है। विपक्षी ने रजिस्टर्ड सेल डीड से आराजी नम्बर 350 रकबा 0.9100 हैक्टेयर लगानी 2रू0 73 पैसा बिड में से 0.0758 हैक्टेयर जमीन खरीदी है, यह जमीन प्रभूलाल पिता श्रीलाल, उंकार पिता श्रीलाल, राधेश्याम उर्फ लालु पिता श्रीलाल, पप्पू पिता श्रीलाल, रूकमणी पिता श्रीलाल अहीर से रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.10.2015 को खरीदी है, जिसके पडौस पूर्व में आराजी नम्बर 349, पश्चिम में आराजी नम्बर 342 व 343, उत्तर में आराजी नम्बर 350 का शेष भाग और दक्षिण में आराजी नम्बर 347 है, इन चारो पड़ौस के बीच का भाग 0.0758 हैक्टेयर है जो जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स ने उक्त खातेदारों से खरीदी है जिस पर विपक्षी जे०के० सीमेन्ट वर्क्स का कब्जा चला [illegible] नारायण पिता रामलाल अहीर, जगदीश पिता रामलाल अहीर व कंकू [illegible] लाल अहीर ने विवादित आराजी नम्बर 350 रकबा 0.9100 है[illegible] 0.2275 हैक्टेयर जमीन दिनांक 24.02.2014 को [illegible] विक्रय प[illegible] खरीदी है, और इसी पर विपक्षी जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार विपक्षी जे०के० सीमेन्ट वर्क्स प्रार्थीगणों के हिस्से में किसी प्रकार की [illegible] बाधा उत्पन्न नहीं करता है, बाधा उत्पन्न करने का तथ्य बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, विपक्षी जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रार्थीगणों की कब्जेशुदा भूमि पर कोई पाईप लाईन नहीं डालना चाहता है और ना ही कोई खुदाई जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स ने कराई है, जब जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स प्रार्थीगणों की कब्जेशुदा भूमि पर किसी प्रकार की कोई पाईप लाईन आदि नहीं डालना चाहता है तो उन्हे रोकने का और मुआवजा देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। विपक्षी प्रार्थीगणों के कब्जे की कृषि भूमि में खनन कर कोई पाईप लाईन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:07 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

डालने का तथ्य बिल्कुल झुठा लिखा हुआ है। इसलिये प्रार्थीगण विपक्षी केविरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी नहीं है। इस चरण में शेष सभी वर्णित तथ्य गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगणों का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है सुविधा का संतुलन विपक्षी के पक्ष में है।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा खातेदार नारायण पिता रामलाल अहीर, जगदीश पिता रामलाल अहीर व कंकू पत्नी रामलाल अहीर ने विवादित आराजी नम्बर 350 रकबा 0.9100 हैक्टेयर में से अपना 1/4 हिस्सा यानि 0.2275 हैक्टेयर जमीन दिनांक 24.02.2014 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी है, और इसी पर विपक्षी जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स का कब्जा चला आ रहा है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है किया कि प्रार्थीगण विपक्षी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावें ।

6. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **प्रथम दृष्टया मामला**– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाति खातेदारी की है जिसमें प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण को सहखातेदार होने से एवं विपक्षी संख्या 1 ने आराजी नम्बर 350 रकबा 0.9100 हैक्टेयर में से 0.2275 हैक्टेयर जमीन दिनांक 24.02.2014 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी है, और इसी पर विपक्षी जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स का कब्जा **चला आ रहा है** इसलिए किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से कानून रूप से पाबन्द कराने की अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। वादी का मूल वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत जिसमे वादी एवं प्रतिवादी दोनो सहखातेदार है। एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के तहत राहत प्राप्त नहीं कर सकता है। सहखातेदार के बीच में विभाजन होने से पूर्व सभी भूमि पर दोनो काश्तकारो का ही अधिकार है। भूमि काश्तकार विक्रय द्वारा खरीदने पर विक्रेता से क्रेता कब्जा प्राप्त करता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगणों का जो हिस्सा दर्ज है उसी अनुसार उनका कब्जा चला आ रहा है। अपूरणीय क्षति विपक्षी के पक्ष में होने से प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

III. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:07 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाति खातेदारी भूमि हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

इसलिए प्रकरण में पूर्व में दिनांक 10.05.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसे खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

—:आदेश:—

8. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है कि ग्राम मालीयाखेडी पटवार हल्का फलवा तह निम्बाहेडा में खाता सं0 39 की आराजी नं0 350 रकबा 0.9100 हेक्टेयर भूमि में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.05.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त की जाती हैं, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/9/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:07 IST
Reason: SelfAttested